न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 189/2016

1. जसवीरसिंह } पिसरान हमीरसिंह जाति जटसिख निवासी गांव मोहनपुरा तहसील व
2. लाभसिंह } जिला श्रीगंगानगर।

-- – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. लछमण सिंह पुत्र हमीरसिंह जाति जटसिख निवासी गांव मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री हरवीरसिंह बराड़ अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री हरजीतसिंह अधिवक्ता — अप्रार्थी

– :: निर्णय ::– **दिनांक :– 27.09.2016**

प्रार्थीगण द्वारा जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीयान का रकबा चक 8 वाई मुरब्बा नम्बर 36, 34 के मुश्तर्का खाता में मे प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी भूमि 8.373 हैक्टर है, तथा मुरब्बा नम्बर 31, 41, 37 के मुश्तर्का खाता की भूमि थी प्रार्थी व अप्रार्थी आपस में भाई थे जिन्होनें दिनांक 13.06.2014 को मुश्तर्के खाते का सहमती से बटवारा करवा लिया था बंटवारें के अनुसार तीनों भाईयों के पास मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 व 10 अप्रार्थी को व किला नम्बर 11, 20, 21 प्रार्थीगण के हिस्से में आये थे। तीनों की सहमती से 0.240–0.240 का बंटवारा कर दिया पांचों बिघों में शेष 0.013 हैक्टर (प्रत्येक किले में) में आनें जानें के लिये रास्ते के रूप में करते रहेगें।

तीनो भाई इसी एक–एक बिस्वा में जो रास्ता चल रहा है, से अपनें अपनें खेत में प्रार्थी व अप्रार्थी आ जा रहे थे मौके पर वाद ग्रस्त मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1, 10 में से रास्ता चल रहा है उससे आगे किला नम्बर 11, 20, 21 प्रार्थीगण का था वो अपनें खेत में आते जाते थे।

भाईयों का आपस में किसी अन्य बात को लेकर मन मुटाव हो गया है इसलिये अप्रार्थीगण का भी इसमें 1/3 हिस्सा है, प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा है, लेकिन प्रार्थी का मुश्तर्का खाता होनें के कारण प्रार्थी नें यह धमकी दी है, मै यह रास्ता बन्द करूगा आपको जानें नहीं दूंगा और में खाता विभाजन का दावा करके भूमि अलग करवा लूंगा और रास्ता के रूप में जो भूमि चल रही है वह जोत का रास्ता बन्द कर दूंगा।

वाद ग्रस्त भूमि मुरब्बा नम्बर 34 में दो हिस्सेदारों के मालिक प्रार्थीगण है 1/3 हिस्से का मालिक अप्रार्थी है 1/3 हिस्सा जो किला नम्बर 1 व 10 प्रत्येक में 0.013 है, में जो रास्ता मन्जूर करवा रहे है उसका जो भी डी.एल.सी. रेट का दुगना होगा वह प्रार्थीगण अदा करनें के लिये तैयार है। अतः चक 8 वाई के खाता संख्या 68/65 में मुरब्बा नम्बर 68/65 के मुरब्बा नम्बर 34 में किला नम्बर 1 व 10 में एक – एक बिस्वा रास्ता मन्जूर करनें के आदेश प्रदान किये जावें।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को ज़रिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट को भिजवाया गया जिसके अनुसार चक 8 वाई के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1–10 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर रकबा संयुक्त रूप से जसवीरसिंह, लाभसिंह, लछमणसिंह पिसरान हमीरसिंह कौम जटसिख साकिन मोहनपुरा के नाम से राजस्व रिकार्ड में है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा चक 4 बी छोटी की सीमा से मुरब्बा नम्बर 37 से रास्ता पहले से ही लगता है मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत है तथा इसके अलावा किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर घरेलू तौर पर चालू है प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग भी खेत में आनें जानें के लिये करते है जिसमें से प्रार्थीगण किला नम्बर 1–10 में रास्ता स्वीकृत कराना चाहते है। प्रार्थीगण रास्ते कर एवज में डी.एल.सी. की दुगनी दर से राशी अदा करनें को सहमत है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के बंटवारा का वाद न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन होना बताया है कोई कागजात पेश नहीं किये है।

अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2016 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी के बीच मुरब्बा नम्बर 34 की खाता संख्या 87/18, 56 के किला नम्बर 1, 10 व खाता संख्या 68/65 के किला नम्बर 11, 20, 21 दोनों खातों में प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टर कुल 0.065 हैक्टर भूमि सांझी रह गई है इस भूमि का विभाजन करनें के लिये किला नम्बर 1 व 10 की भूमि दिलवाये जानें का दावा श्रीमान की अदालत में प्रस्तुत किया गया है। जिसकी रंजिश वश अप्रार्थी को तंग परेशान करनें के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अप्रार्थी की भूमि दो हिस्सों में बंटी हुई है और प्रार्थीयान की भूमि का एक ही पैच है अप्रार्थी अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 37 में मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 11, 20, 21 की उक्त सांझी भूमि में से होकर जाता है अप्रार्थी के आनें जानें के लिये मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 व मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 के पूर्वी हिस्सा में पक्की पुलिया बनी हुई है प्रार्थीयान नें किला नम्बर 1 में तार लगाकर अप्रार्थी के किला नम्बर 2 आनें जानें के लिये रास्त बन्द कर दिया है अप्रार्थी को 4 किलोमीटर का चक्कर काटकर इस भूमि पर आना जाना होता है। जिस कारण अप्रार्थी को भारी परेशानी हो रही है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अस्वीकार करते हुए विकल्प के तौर पर अन्य कथन किये है, कि अप्रार्थी अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 37 से मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1, 10 व इन्ही किलों की 1, 10, 11, 20, 21 की सांझी भूमि में आना जाना करता है प्रार्थीयान नें मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 में बनी पुलिया के आगे तार लगाकर अप्रार्थी का रास्ता बन्द कर दिया है अप्रार्थी के पास अपनी भूमि में आनें जानें के लिये मन्जूर शुद्धा रास्ता है ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र चलनें योग्य नहीं है।

विकल्प व विपरीत परिस्थितियों में अप्रार्थी को मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 के पूर्वी हिस्सा में कीमत के हिसाब से दोगुनी भूमि दिलवाई जावे जिससे अप्रार्थी अपनी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 34 की भूमि में निर्बाध रूप से आ जा सके।

दिनांक 20.09.2016 को उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। दोरानें बहस प्रार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि समस्त भूमि का बंटवारा करनें के बाद यह यह भूमि सांझा खाता की है, जमीन के बदले जमीन या फिर डी.एल.सी. का दुगना प्रार्थीगण देनें को तैयार है, हमें रास्ता चाहिये ताकि अपनी भूमि की सार सम्भाल हेतु आवागमन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में कथन किया कि अतिरक्ति अथवा सुविधाजनक रास्ता नहीं दिलवाया जा सकता रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थीयान के लिये मुरब्बा नम्बर 37 के दक्षिण में पक्का रास्ता चालू है। भूमि बंटवारा के प्रार्थी के दावा के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी नें अप्रार्थी का मुरब्बा नम्बर 37 से मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1, 10 में जानें वाला रास्ता को बन्द करनें के लिये मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 व मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 के पूर्वी कौन में बनी पुली के आगे तार लगाकर रास्ता बन्द कर दिया है पुलिया का उपयोग मुरब्बा नम्बर 37 के रास्ता ये आनें जानें के लिये कर रहा है। इसके अतिरक्ति मौखिक कथन किया कि यदि न्यायालय फिर भी रास्ता स्वीकृत करना उचित समझे तो मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 के पूर्वी कौन में बनी पुलिया के नजदीक जमीन दिलवाई जावे ताकि अप्रार्थी अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1, 10 में सुविधा पूर्वक आवागमन कर सके।

विद्धान अधिवक्तागणों की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से यह सपष्ट हो रहा है, कि हल्का पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की भूमि पूर्व में ही स्वीकृत शुद्धा रास्ते से चिपती हुई है।

चुँकि पूर्व में भूमि स्वीकृत रास्ता पर होनें के कारण विकल्प के तौर पर अतिरिक्त रास्ता उपलब्ध करवाना उचित नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होनें के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.09.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर